राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जासूस बादशाह

www.picmp.com

आरएनआई निबंधन संख्या-एमपीएचआईएन1999/4107 डाक पंजीयन-मप्र/भोपाल/371/18-20

वर्ष-20,अंक-28(चौबीस सालों से प्रकाशित) भोपाल,28जुलाई,रविवार 2019 पेज-8,मूल्य पांच रुपया

अब तक मुखिया नहीं बन पाए मुख्यमंत्री कमलनाथ

वित्तमंत्री को ठेंगा और कमलनाथ के छिंदवाड़ा को विश्वविद्यालय

भोपाल,24जुलाई(प्रेस इंफार्मेशन सेंटर)।कांग्रेस की कमलनाथ सरकार अंधा बांटे रेवड़ी बार बार खुद को दे वाले अंदाज में शासन चला रही है। जब पूरे देश में शिक्षा के निजीकरण का दौर चल रहा है तब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने चुनाव क्षेत्र में सरकारी विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी करा ली है जबकि वित्तमंत्री तरुण भनोट के गृह जिले जबलपुर के मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय को दो हजार रुपए का अनुदान देकर ठेंगा दिखा दिया है। हैरत की बात तो ये है कि नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करके परिवारवादी मानसिकता का ही समर्थन किया है।

मध्यप्रदेश विधानसभा ने कल मंगलवार को छिंदवाड़ा में सरकारी विश्वविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक 2019 के नाम से प्रस्तुत इस प्रस्ताव को सदन ने सर्वसम्मति से पारित करके विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र को नए सिरे से परिभाषित कर दिया है। छिंदवाड़ा के इस नए विश्वविद्यालयका अधिकार क्षेत्र छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बैतूल राजस्व जिलों की सीमा रहेगा। विधेयक का औचित्य प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि संबंधित जिलों के युवाओं को उच्च शिक्षा की सहज पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से ये नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। जबकि वहां पहले से ही जी.एच.रायसोनी विश्वविद्यालय स्थापित है और बेहतर शिक्षा मुहैया करा रहा है।

अब तक छिंदवाड़ा के युवा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर और बरकतउल्ला विवि भोपाल से डिग्री प्राप्त कर लेते थे। इस व्यवस्था में कोई परेशानी भी नहीं थी क्योंकि छिंदवाड़ा में कई निजी कालेज इन विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं। इसके बावजूद छिंदवाड़ा में सरकारी विश्वविद्यालय तब खोला जा रहा है जब मुख्यमंत्री बात बात पर कहते हैं कि प्रदेश का खजाना खाली है। नए सत्र से विश्वविद्यालय का सत्र आरंभ करने के लिए सरकार ने आनन फानन में तीन करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए हैं। ये राशि तो प्रारंभिक है लेकिन अब भविष्य में इस विश्विद्यालय का बड़ा खर्च भी सरकार के गले पड़ जाएगा।

शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 34 निजी विश्वविद्यालय कार्यरत हैं।सरकारी क्षेत्र में पहले से कार्यरत सात विश्वविद्यालयों के साथ साथ अब राज्य सरकार ने ये आठवा विश्वविद्यालय भी खोलने की तैयारी कर ली है।जबकि सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय पहले से राज्य सरकार के लिए सरदर्द बने हुए हैं। अपना आर्थिक बोझ घटाने के लिए ही सरकार ने कालेजों को स्वायत्ता देकर उन्हें अपने आर्थिक संसाधन खुद जुटाने की जवाबदारी सौंप रखी है।

राज्य की भाजपा सरकार ने मछुआ समाज की मांग को देखते हुए जबलपुर में मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय खोला था। सरकारी वेटनरी कालेज जबलपुर से संबद्ध ये महाविद्यालय प्रदेश का एकमात्र कालेज है जो मछली पालन की तकनीक पर अनुसंधान भी करता है। इस कॉलेज से निकले विद्यार्थी आज पूरे भारत और दुनिया में अपने कुशलता के झंडे गाड़ रहे हैं। वित्तमंत्री तरुण भनोट खुद जबलपुर के हैं और कालेज का महत्व जानते हैं इसके बावजूद कालेज को मौजूदा सत्र में मात्र दो हजार रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसमें एक हजार रुपए वेतन और एक हजार रुपए अन्य मदि में दिए गए हैं।

प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग अश्विनी कुमार राय इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ हैं फिर भी सरकार की नीति को देखते हुए उन्होंने चुप्पी साध रखी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय खोले जाने की जरूरत प्रतिपादित करते हुए सदन में कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदेश में और विश्वविद्यालय बनें। इससे प्राईवेट यूनिवर्सिटीज कम बनेंगी।वे नफे के लिए विश्वविद्यालय बनाते हैं। यदि सरकारी विश्वविद्यालय खुलेंगे और उन्हें मुनाफा नहीं होगा तो वे इस बारे में सोचना बंद कर देंगे।

कांग्रेस जिस कमलनाथ को उद्योगपति और नई सोच वाला बताती है उनकी सोच को प्रतिबिंबित करने वाले ये वाक्य एक बार फिर बताते हैं कि विकास का छिंदवाड़ा माडल पूरी तरह आधारहीन है। सरकारी बजट और टैक्स चोरी के लिए राजनैतिक दलों को बड़ा चंदा देने वाले कार्पोरेट घरानों की सीएसआर राशि से दिखावटी विकास के माडल खड़े करने की कलाकारी की पोल अब खुलने लगी है। विकास के नाम पर मुख्यमंत्री के इस हस्तक्षेप से वित्तमंत्री तरुण भनोट खुद अचंभित हैं। छिंदवाड़ा के विश्विद्यालय का प्रस्ताव रखकर क्षेत्रीयता की इस आंधी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ने भी अपने हाथ धो लिए। गोपाल भार्गव ने इसके एवज में सागर में सरकारी विश्वविद्यालय खोलने जाने का थोथा आश्वासन लेकर चुप्पी साध ली।

जबलपुर मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का अनुदान बंद करने से राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद निषाद खासे खफा हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ को भरोसा नहीं है कि उनकी सरकार ज्यादा चलेगी इसीलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने में जल्दबाजी दिखाई। जब प्रदेश का खजाना खाली है तो नया विश्वविद्यालय खोलने की जरूरत क्या थी। प्रदेश में मछली पालन सिखाने वाले जबलपुर के एकमात्र महाविद्यालय को तो वे बजट दे नहीं पा रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए संसाधन कहां से जुटा पाएंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार प्रदेश से छलावा कर रही है। सरकार को निषाद समाज के बच्चों के अध्यापन की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। यही नहीं बच्चों को इन महाविद्यालयो में कोटा आबंटित किया जाए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। निषाद समाज की ये नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़े सकती है।

बदनामशुदा पत्रकार संघ के अध्यक्ष शलभ भदौरिया को 3 साल जेल की सजा

भोपाल। मध्यप्रदेश की पत्रकारिता को अनैतिक ठकुरासी के इशारे पर कलंकित करने वाले शलभ भदौरिया को लंबे अंतराल के बाद अदालत ने दंडित किया है। पत्रकार और अदालतें तो बार बार इंगित करती रहीं हैं कि मध्यप्रदेश के चौथे स्तंभ में सुधार की जरूरत है लेकिन सत्ता माफिया के इस प्रतीक पुतुल ने लगभग तीन दशकों तक पत्रकारिता के चेहरे पर कालिख पुतवाने का काम जारी रखा। एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के शलाका पुरुष राधावल्लभ शारदा की जिजीविषा और धैर्य ने पत्रकारों के इस कलंक को अब उसके अंजाम तक पहुंचाने में सफलता पाई है। प्रेस जगत में अदालत के इस फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है।

इस अपराधी ने झूठे दस्तावेज पेश कर सरकारी विज्ञापन की राशि हड़पी और डाक विभाग को भी धोखे में रखा था। राज्य आर्थिक अनवेषण ब्यूरो भोपाल ने इस शिकायत पर 23 फरवरी 2006 को प्रकरण क्रमांक 05/06 दर्ज किया था। जिसमें सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल ने आरोपी मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष शलभ भदौरिया को 3 साल के कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।प्रकरण धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 भादवि में दर्ज हुआ था।

उल्लेखनीय है कि एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा ने वर्ष 2003 में राज्य आर्थिक अनवेषण ब्यूरो भोपाल में शिकायत दर्ज करवाई थी जिस पर माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया।इस प्रकरण में फरियादी गुलाब सिंह राजपूत थाना प्रभारी रा.आ.अप. अन्वेषण ब्यूरो भोपाल और संदेही/ आरोपियों में शलभ भदौरिया एवं विष्णु वर्मा विद्रोही थे।सुनवाई के दौरान ही विष्णु वर्मा की मौत हो चुकी है।प्रकरण की विवेचना भोपाल इकाई के पुलिस अधीक्षक सुधीर लाड़ ने की।

न्यायालय ने पाया कि आरोपियों ने आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड तेलगू समाचार पत्र के आरएनआई प्रमाण पत्र और अन्य फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी विज्ञापन प्राप्त किए। इसी प्रकार आरोपी शलभ भदौरिया ने फर्जी दस्तावेज लगाकर डाक पंजीयन भी करवाया और अवैध रूप से आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया। ये प्रकरण काफी समय पहले सरकारों की निगाह में आ चुका था इसके बावजूद ये व्यक्ति कई फर्जी नामों से सरकारी सुविधाओं का हितग्राही बना रहा।

इस व्यक्ति के विरुद्ध प्रदेश और राजधानी के पत्रकार लगभग तीन दशकों से ही अपनी खबरें प्रकाशित करते रहे हैं। इसके बावजूद सरकारों में घुसपैठ बनाने वाला सत्ता माफिया इसे संरक्षण देकर जिंदा बनाए रखता था। अब जबकि सोशल मीडिया की मजबूत उपस्थिति दर्ज हो चुकी है तब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मीडिया को उपदेश जारी करने की परंपरा शुरु कर दी है। जाहिर है कि इस फैसले से मुख्यमंत्री को भी मीडिया के बीच पलते रहे ठगों को पहचानने में आसानी हो जाएगी।

गौरतलब है कि राजधानी और प्रदेश के हजारों पत्रकार बरसों से इसकी आपराधिक गतिविधियों को रिपोर्ट करते रहे हैं।

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जासूस बादशाह

भोपाल,28जुलाई,रविवार 2019

उद्यमियों को चोर का तमगा देती कांग्रेस

कांग्रेस की विचारधारा कालातीत हो चुकी है। महात्मा गांधी ने आजादी के बाद दो टूक शब्दों में कहा था कि कांग्रेस अपना दायित्व निभा चुकी है। इसका काम समाप्त हो गया है। इसलिए इसे अब समाप्त कर देना चाहिए। ये गांधीजी की दूरदृष्टि थी। वे जानते थे कि अब देश को नव निर्माण की जरूरत है। इसे अब लड़ने भिड़ने वाला मॉडल नहीं चाहिए। इसे तो आगे बढ़ने वाला माडल चाहिए,लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं जिनमें खासतौर पर पडित जवाहर लाल नेहरू प्रमुख थे उन्होंने गांधीजी के इस विचार को किनारे कर दिया। वे चाहते तो कांग्रेस के स्थान पर कोई नया दल गठित कर सकते थे। नेहरू जी को देश में रौब दाब वाला नेता माना जाता था। आजादी के भावनात्मक सैलाब के बीच नेहरू जी देश को चलाते रहे और लोग उनका साथ देते रहे। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं में कोई भी इतना प्रतिभाशाली नहीं हुआ जो कांग्रेस की चलती फिरती सफल दूकान को बंद करके कोई नया राजनैतिक दल खड़ा करने का साहस कर सकता। जाहिर है कि पुरानी कांग्रेस को ही धो पोंछकर उससे काम चलाया जाता रहा। जब पूरी दुनिया में ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोईका का शोर था और रूस जैसे साम्यवादी देश ने अपने देश के दरवाजे मुक्त बाजार व्यवस्था के लिए खोल दिए तो भारतीय कांग्रेस की जमीन पैरों तले खिसक गई। उसने साम्यवाद को समाजवाद का मसाला मिलाकर देश के सामने परोसा था। वह वामपंथ और गांधीवाद की मिली जुली विचारधारा पर चल रही थी। पीव्ही नरसिम्हाराव और डाक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दो टूक फैसला किया और देश को मुक्त बाजार व्यवस्था के साथ कदमताल करने के लिए तैयार कर दिया। पहली बार देश की सत्ता का साफ्टवेयर बदला गया था। गुलाम हिंदुस्तान में जिस कांग्रेस की नींव रखी गई थी उसे अंग्रेजों के लिए साफ्ट एब्जार्बर के रूप में तैयार किया गया था। उसका मकसद अंग्रेजों के खिलाफ खूनी क्रांति का सैलाब रोकना था। कांग्रेस ने वो काम बखूबी किया। इसी बीच कांग्रेस के गरम दल के नेता खूनी क्रांति को भी स्वर दे रहे थे। जाहिर है कि अंग्रेज इन हमलों से घबरा गए। उन्हें मालूम पड़ गया कि इस देश को सीधे तौर पर अधिक समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। इसी के चलते उन्होंने गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किया और कमाई के सभी प्रमुख उपक्रमों पर अपना नियंत्रण रखते हुए उन्होंने देश की सत्ता का हस्तांतरण किया। कानूनी तौर पर सत्ता संभालने के बाद कांग्रेस ने अंग्रेजों के प्रति स्वामिभक्ति निभाई और लंबे समय तक उसी रास्ते पर चलती रही। पहली बार नरसिम्हाराव की सरकार ने इस लीक से हटकर चलने का साहस दिखाया था। डाक्टर मनमोहन सिंह ने अपने दस वर्षीय शासनकाल में उसी नीति को आगे बढ़ाया और कहा कि देश में इंस्पेक्टर राज अब वापस नहीं लौटेगा। तबसे औद्योगिक सुधारों की नीतियां चालू हैं। इसके बावजूद देश के नेता उन नीतियों को न तो अब तक समझ पाए हैं और न ही उसके अनुकूल व्यवस्था बना पाए हैं। मध्यप्रदेश में भाजपा की शिवराज सिंह सरकार चूं चू के मुरब्बे की तरह चलती रही। उनसे भ्रष्टाचार के उन राजमार्गों का भरपूर इस्तेमाल किया जिन्हें कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार विरासत में छोड़ गई थी। कांग्रेस के नेताओं को लग रहा था कि वे अब सत्ता में कभी नहीं लौट पाएंगे। इसकी वजह ये थी कि खुले बाजार की व्यवस्था को लागू कर पाने के लिए जिस तरह का धन भंडार चाहिए था वो उपलब्ध ही नहीं था। देश में आजादी के बाद से पूंजी उत्पादन के प्रकल्प नहीं चलाए गए। कल्याणकारी राज्य के नाम पर जो योजनाएं चलाई गईं वे प्रदेश की पूरी आय गड़प कर जाती थीं। आज भी सरकारी नौकरियों के नाम पर जो वेतन हर महीने बांटा जाता है उससे कोई उत्पाद नहीं बनता। वह राशि बैंकों में घूमकर वापस आ जाती है। औद्योगिकीकरण के नाम पर बैंकों ने जो लोन बांटा वह भी बाजार में ब्याज पर चला,उत्पादन में नहीं लगा। यही वजह है कि शिवराज सिंह सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद उद्योगपतियों ने प्रदेश में आने में रुचि नहीं दिखाई। इसकी वजह थी कि प्रदेश में उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा ही उपलब्ध नहीं हो पाया। कमलनाथ ने खुद को उद्योगपति साबित करने के लिए छिंदवाड़ा माडल की थोथी अवधारणा प्रस्तुत की। प्रदेश को लोगों को लगा कि वे औद्योगिकीकरण को साकार कर पाएंगे। नौ महीने बीत जाने के बाद साफ हो गया है कि कमलनाथ केवल तबादला उद्योग ही चला पाए हैं। सत्ता की जो परिपाटी दिग्विजय सिंह के शासनकाल में और उससे पहले चला करती थी उसका पुराना हथकंडा दुबारा इस्तेमाल किया गया। जब सरकार नकाम होती नजर आई तो आनन फानन में पुराने मामलों की छानबीन शुरु कर दी गई। खाद्य विभाग के अमले ने धड़ाधड़ छापे मारना शुरु कर दिए। पंद्रह दिन में प्रदेश भर के नौ से से अधिक व्यापारियों पर छापे मारकर उनके उत्पादों के सैंपल उठा लिए गए। सरकार के पास इन नमूनों की जांच की व्यवस्था भी नहीं है। भाजपा के नेताओं को घेरने के लिए चपरासियों पर भी छापे मारे गए। उन्हें जेल भेजा गया। पत्रकारिता विवि के कुलपति कुठियाला को गिरफ्तारी के नाम पर खूब दौड़ाया गया। इसके बावजूद सरकार का हुकूक नहीं लौटा। इसके विपरीत प्रदेश में अराजकता का माहौल बन गया है। खाद्य नमूनों के नाम पर ईमानदार व्यवसायियों को भी चोर ठहराया जा रहा है। व्यापारियों में भय का माहौल है। दलालौं की पौ बारह है। वे प्रकरण बंद करवाने के लिए व्यापारियों का भयादोहन कर रहे हैं। अफसरों पर लटकी तबादलों की तलवार उन्हें भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित कर रही है। यदि उन्हें तबादले रुकवाना है तो नजराना देना पड़ेगा। ठेकेदार तो पहले ही हाजिरी भरने में जुटे हैं। य सब ज्यादा लंबा नहीं चल सकता।

कर्नाटक की राजनीति में बनी रहेगी अनिश्चय की स्थिति

75 वर्ष की आयु सीमा के नियम का उल्लंघन तो इन समझौतों में केवल एक है। येदियुरप्पा 76 वर्ष के हैं। वह उम्र की वह सीमा पार कर चुके हैं जिसके बाद मोदी और शाह के आगमन के बाद नेता या तो राजभवन जाते हैं या मार्गदर्शक मंडल। अगर हम 2014 के बाद से अब तक की भाजपा पर नजर डालें तो केवल दो नेता 75 के बाद भी कैबिनेट में बने रह सके। एक हैं नजमा हेपतुल्ला, जो आखिरकार मणिपुर की राज्यपाल बनीं और दूसरे कलराज मिश्र जो अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। बीच की अवधि में अलग-थलग रहते हुए भी वह बिना नागा मोदी की तारीफ में ट्वीट करते रहे और इसका फल भी उन्हें मिला।

भाजपा में कोई और आयुसीमा का उल्लंघन नहीं कर सका। यहां तक कि जो भाजपा नेता शायद मोदी को ताउम्र देश का प्रधानमंत्री बनाने की मांग करते वे भी ये अटकल लगाने लगे थे कि तीसरे कार्यकाल में 75 की उम्र पार करने पर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इससे येदियुरप्पा की विशेष ताकत का अंदाजा लगता है। यकीनन इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि मोदी के 75 की उम्र में पद त्यागने की संभावना बेमानी हो जाए। अगर एक छोटे क्षेत्रीय नेता को यह छूट दी जा सकती है तो भला अपेक्षाकृत स्वस्थ एवं ताकतवर मोदी को क्यों नहीं ?

कई मायनों में येदियुरप्पा उस आदर्श मुख्यमंत्री से एकदम उलट हैं जैसा मोदी और शाह चाहते। इसके लिए सन 2014 के बाद से उनके द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्रियों की सूची खंगाली जा सकता है। इनमें से कोई अपने राज्य में इतना रसूखदार नहीं था और न ही पद का सबसे बड़ा दावेदार ही था। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ भी नहीं। इनमें से कोई भी राज्य की प्रभावशाली जाति से नहीं आता था। जाट बहुल हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जैसे पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाया गया। झारखंड में आदिवासियों को सत्ता नहीं सौंपी गई। महाराष्ट्र में युवा ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस को पद सौंपना, मराठाओं की आंख में किरकिरी जैसा था। यहां तक कि असम में भी सबसे ताकतवर नेता हिमंत विश्वशर्मा को कम शक्तिशाली सर्वानंद सोनोवाल के अधीन रखा गया।

अब तक के मॉडल के मुताबिक भाजपा को केवल दो नेताओं की जरूरत है और वे दिल्ली में रहते हैं। शेष नेता उनके अनुचर हैं। येदियुरप्पा ने इस नियम को भंग कर दिया है। उन्होंने खुद को अपने बूते स्थापित किया है। वह न केवल एक रसूखदार जाति के नेता हैं बल्कि वह आलाकमान की निरंतर अवहेलना भी करते रहे हैं। अतीत में जब उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर पार्टी ने उनके शत्रु सदानंद गौड़ा को राज्य की सत्ता सौंपी और जब वह भी अस्थिर हो गए तो येदियुरप्पा ने बगावत कर भाजपा छोड़ दी और एक क्षेत्रीय दल बनाकर 2013 का चुनाव लड़ा। उन्हें केवल छह सीटों पर जीत मिली लेकिन लिंगायत वोटों को उन्होंने पार्टी से दूर कर दिया। भाजपा भी 224 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीटों पर सिमट कर रह गई।

उन्होंने अपनी पार्टी को एक और प्रमुख सिद्धांत तोडऩे पर मजबूर किया- वह था भ्रष्टाचार को सहन न करना। अपने पहले कार्यकाल में येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोपों और लोकायुक्त की प्रतिकूल रिपोर्ट के चलते सत्ता गंवानी पड़ी। वह कुछ समय जेल में भी रहे और बाद में बरी हुए। परंतु चूंकि उन्हें पद से हटाया गया था इसलिए 2008 से 2013 के बीच कोई चैन से नहीं रह सका। भाजपा को राज्य में तीन मुख्यमंत्री बदलने पड़े। यही कारण है कि 2013 में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। परंतु येदियुरप्पा को न केवल पार्टी में वापस लिया गया बल्कि क्षेत्रीय कद्दावर नेता की उनकी हैसियत भी बरकरार रही। इसकी तुलना गुजरात में शंकर सिंह बाघेला से कर के देखिए। उस दौर में भाजपा के सबसे बड़े नेता और आरएसएस के आदमी रहे बाघेला ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सहायता से गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला। क्या भाजपा उन्हें कभी दोबारा राज्य में सत्ता सौंपती ?

उम्र, जाति, भ्रष्टाचार और वफादारी को धता बताने के अलावा येदियुरप्पा ने अपनी पार्टी को मजबूर किया कि वह राज्य की कांग्रेस-जदसे सरकार गिराकर तत्काल उन्हें पद सौंपे। भाजपा शायद उक्त गठबंधन सरकार को थोड़ा और समय देती कि वह स्वयं गिर जाए। हालांकि ऐसा अनिवार्य तौर पर नहीं कहा जा सकता। बहुत संभव है कि मोदी और शाह राज्य को कुछ और वक्त तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहने देते और दलबदलुओं से निपटकर सरकार बनाते। फिलहाल जिस हड़बड़ी में येदियुरप्पा को शपथ दिलाई गई वह अजीब है और उसका कोई लाभ भी नहीं है।

इसलिए कि तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी बागियों की अर्हता समाप्त कर दी है यानी वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कम से कम वैसे तो बिल्कुल नहीं जैसा भाजपा चाहती। भाजपा के इस बुजुर्ग नेता को इतनी ताकत कहां से मिलती है और भाजपा तथा राष्ट्रीय राजनीति के लिए इसके क्या मायने हैं? पहली बात तो यही कि भाजपा राज्य में युवा नेतृत्व कायम करने में नाकाम रही। येदियुरप्पा के प्रमुख विरोधी अनंत कुमार की असमय मृत्यु से भी उन्हें मदद मिली। परंतु सबसे अहम बात यह है कि भाजपा को अंदाजा हो गया कि कर्नाटक में वह केवल मोदी के दम पर विधानसभा में बहुमत नहीं हासिल कर सकती। यह इकलौता राज्य है जहां भाजपा को हिंदू वोट बैंक के भीतर अपने ही नेता के जातीय वोट बैंक से चुनौती मिली।

अन्य राज्यों के भाजपा नेता भी इसे ध्यान में रखेंगे। आसपास नजर दौड़ाएं तो अन्य राज्यों में येदियुरप्पा की हैसियत का भाजपा नेता नहीं दिखता। राजस्थान में वसुंधरा राजे अपने वफादारों को किनारे करने और निंदकों की तरक्की से नाराज होंगी। शिवराज सिंह चौहान को वह छूट और संसाधन नहीं मिले जिनकी बदौलत वे कमलनाथ की सरकार को गिरा सकें। परंतु ऐसे नेता हैं कम से कम महाराष्ट्र और झारखंड में। योगी आदित्यनाथ को इस गिनती में क्यों न शामिल किया जाए, वह भी कर्नाटक के अपवाद से प्रेरणा ले सकते हैं। पुनश्च- आपने देखा होगा कि उनके नाम के वर्णाक्षर एक बार फिर बदल गए हैं। बुरे दिनों में उन्होंने इसे बदला था लेकिन कोई लाभ न होने पर पुन- मूल नाम को अपना लिया है। मैं कह नहीं सकता कि उनका अंधविश्वास भी कम हुआ है या नहीं।

ट्रिपल तलाक बिल महिला सशक्तिकरण में सहयोगी बोले इंद्रेश कुमार

भोपाल (प्रेस सूचना केन्द्र)। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति बहु आयामी चेतना जागृत करने के लिए कार्यरत संस्था फैन्स अर्थात फोरम फार आवेयरनेस आफ नेशनल सिक्योरिटी यानि राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मा. श्री इंद्रेश कुमार जी की प्रेस वार्ता आयोजित की गयी। इस प्रेस वार्ता में श्री इन्द्रेश कुमार ने (नो मोर पाकिस्तान), जम्मू-कश्मीर संबंधी धारा-370 और आर्टिकल 35 ए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

श्री इन्द्रेश कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने और उनमे देशभक्ति की भावना जागृत करने हेतु निरंतर प्रयासरत है.राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, सद्भावना मंच और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है । इन प्रयासों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से विस्थाति कश्मीरियों के पुनर्वास, ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन, पूर्व सैनिक सेल की स्थापना, हिमालय परिवार, समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा मंच, भारत- तिब्बत सहयोग मंच, राष्ट्रीय कवि संगम, अमरनाथ यात्रियों के लिए सरकार से ज़मीन दिलाने जैसी भूमिका भी शामिल है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की ओर से देश भर में आयोजित की जा रही चर्चा कार्यक्रमों की कड़ी का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का पाँचवाँ अधिवेशन मसूरी में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में पिछले वर्षों के कार्यों और प्रमुख योजनाओं की समीक्षा के साथ नये उद्देश्यों तथा योजनाओं के प्रस्ताव पारित किया गया था। इस कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों के साथ-साथ इससे जुड़े हुए अनेक विशेषज्ञों की सहभागिता रही थी।

फैंस के इस अधिवेशन में कुल तीन प्रस्ताव पास किए गए। पहला प्रस्ताव यह था कि जम्मू कश्मीर भारत की अभिन्न अंग है इसलिए जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिसके लिए 24 विधानसभा सीटें खाली पड़ी हैं उन पर प्रत्यक्ष या मनोनयन से अति शीघ्र प्रतिनिधि चयन किया जाय। राज्य के विधान परिषद की जो 7 सीटें खाली पड़ीं हैं उन्हें भरा जाना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव था कि सीमायी क्षेत्रों में चीन का खतरा निरंतर बड़ा रहा है और इसकी शुरुआत तिब्बत को हड़पने से हुई थी। वर्तमान सरकार को सिमायी क्षेत्र से पलायन को रोकने का प्रयास करना चाहिए तथा उस क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में भारत को अपनी सीमा प्रबंधन नीति को मजबूत करना चाहिए।

तीसरा प्रस्ताव भारत की वैश्विक दृष्टि से प्रतिस्थापना का मुखर समर्थन करता है। इसमें सबसे पहले वैश्विक शांति का विंदु है। भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर के आधार पर विश्व शांति की नई अवधारणा को स्थापित करे। साथ ही विश्व को लोकतांत्रिक नेतृत्व देने का दायित्व भी भारत का ही है। हिमालयी देशों से लेकर हिन्द महासागर के तटीय देशों के साथ मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचा तैयार करने का काम भी भारत के जिम्मे ही है। इन प्रस्तावों की स्थापना एवं देश भर में इन मुद्दों से जुडी सार्थक चर्चा आयोजित करने के उद्देश्य से फैंस विभिन्न शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले इन्द्रेश कुमार जी ने तीन तलाक पर हुए ऐतिहासिक कदम पर अपने विचार भी साझा किये। उन्होंने कहा कि (ट्रिपल तलाक बिल पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है और सालों साल से चल रहे संघर्ष की जीत है। तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की लगभग 1400 साल पुरानी कुप्रथा अब लगभग कानूनन अपराध हो गयी है। इस बिल के पास होने से मुस्लिम महिलाओं के प्रति होने वाले एक बड़े अत्याचार का अंत होगा। यह बदलते भारत की शुरुआत है। दहेज विरोधी कानून और बहुविवाह रोकने से जुड़े कानून में भी दोषी हिंदू पुरुष को जेल भेजने का प्रावधान है, लिहाजा तीन तलाक के दोषी पुरुष को सजा के प्रावधान में कुछ गलत नहीं है और किसी तरह का धार्मिक भेदभाव नही है । यह लैंगिक समानता और महिलाओं के सम्मान का मामला है। तीन तलाक कहकर मुस्लिम बेटियों को छोड़ दिया जाता है, इसे सही नहीं कहा जा सकता, तीन तलाक बिल के पास होने पर उन्होंने मुस्लिम बहनों को शुभकामनाएं भी दी।

फैंस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर कार्य करता है। वैसे तो इस क्षेत्र में अनेक संगठन सक्रिय हैं लेकिन फैंस पिछले दो वर्षों से जो मुहिम चला रहा है, उसने अपने कार्य से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह देश के अनेक हिस्सों में विचार गोष्ठी और चर्चाओं का आयोजन कर रहा है। विशेष तौर पर पिछले दो साल में इसने मध्य भारत सहित उत्तर पूर्व एवं दक्षिण भारत में अनेक सफलतम सोपान हासिल किया है। अब फैंस की राज्य इकाई भारत के सभी राज्यों में गठित हो गई है और कार्य कर रही है। ऐसे में फैंस की पहचान सुरक्षा के मामले में एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन के रूप में हुई है। इस पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष श्री एस. के राउत, कार्यकारी अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र प्रधान, सचिव सुश्री नेहा बग्गा सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे. श्री इन्द्रेश कुमार ने अपने भोपाल प्रवास के दौरान भोपाल के साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्विजीवियों के साथ भी राष्ट्रीय चुनौतियों से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की । आने वाले समय में यह बौद्धिक समूह विभिन्न मुद्दों पर शोध, जागरूकता और अकादमिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी करेगा।

किसानों को सोलर पंप दिलाएगी सरकार

भोपाल(प्रेस सूचना केन्द्र)नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव ने निर्देश दिये कि सोलर पम्प योजना से ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करने के लिये कॉल-सेंटर्स बनायें। किसानों की शिकायतों के तत्परता से निराकरण के साथ ही उनके सुझावों पर अमल भी किया जाये।मंत्री श्री यादव ने कहा कि राज्य एवं केन्द्र शासन के सभी शासकीय कार्यालयों में रूफटॉप सोलर एनर्जी यूनिट स्थापित करने के लिये अभियान चलाया जाये।

प्रमुख सचिव श्री मनु श्रीवास्तव ने रेस्को परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल में लेक व्यू रोड स्थित पम्प हाउस के सौर ऊर्जा से संचालन का कार्य शीघ्र पूरा किया जा रहा है। प्रदेश में 70 फीसदी स्वास्थ्य केन्द्र और 150 से अधिक टेलीफोन एक्सचेंज सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को मंहगे बिजली बिलों से राहत दिलाने और कृषि उत्पादों का लागत मूल्य घटाने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है। किसानों को सोलर बिजली से चलने वाले उपकरण जुटाने में सरकार सहयोग करेगी।

अपनी संपदा को
सपनों के पंख लगाएं
Sage One
Financial Consultant
TANUL SHANKUSHAL
Director
+91-9425018217
tanul@sageonecapital.com
190,Hansa Complex,Zone-1
M.P.Nagar,Bhopal-462011

9893355246
8964090155
07554726053
Royal Sun Palace
HOTEL
153, Zone-II M.P. Nagar Near Hanuman Mandir, Bhopal (M.P.)
E-mail:- royalsunpalace@gmail.com

एक्सिस बैंक के सामने बैटरियों का खजाना
Shailendra Gupta
Mob.: 9755990780
9713454209
9406543198
The Power of sight
BLAZE
ENTERPRISES
Shop No. SG-17, Vijay Stambh, Infront of Axis Bank, Zone-1, M.P. Nagar, Bhopal | Mail : gupta_shailendra08@yahoo.co.in
251-B, Mishra Market, Ashoka Garden, Raisen Road, Bhopal
Authorised Dealer
EXIDE BATTERIES Bike, Car & Inverter
INVERTER MICROTEK STABILIZER & UPS
Deals in
CP PLUS
HIKVISION
alhua
CCTV CAMERAS

पाकिस्तान में बेरोजगारी की वजह बन रही है चीन से दोस्ती

यह चीन की Belt and Road परियोजना का हिस्सा है

चीन की जिस परियोजना के दम पर पाकिस्तान खुद को आर्थिक रूप से समृद्ध करने का ख्वाब देख रहा है, वही उसके लिए सिरदर्द बनती जा रही है। दरअसल, ग्वादर बंदरगाह पर चल रहे चीन के काम की वजह से बलूचिस्तान में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। इस गलियारे की वजह से पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर होने का खतरा महसूस होने लगा है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन के हितों को पाकिस्तान के हितों से ऊपर रखता है। लिहाजा इससे चीन को फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान के कई प्रांतों को इससे काफी नुकसान हो रहा है।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के तटीय कस्बे ग्वादर और इसके आसपास के इलाके को 1958 में पाकिस्तान सरकार ने ओमान से खरीदा था। इस तटीय क्षेत्र के एक बड़े बंदरगाह बनने की संभावनाओं की बात उस समय शुरू हुई जब 1954 में एक अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण में ग्वादर को डीप-सी पोर्ट के लिए एक बेहतरीन स्थान बताया गया था। तब से ग्वादर को बंदरगाह के रूप में विकसित करने की बातें तो होती रहीं लेकिन जमीन पर काम दशकों बाद साल 2002 में शुरू हुआ।

उस वक्त सेना अध्यक्ष रहे जनरल परवेज मुशर्रफ ने ग्वादर बंदरगाह के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया था और 24 करोड़ डॉलर की लागत से यह परियोजना 2007 में पूरी हुई। सरकार ने इस नए बंदरगाह को चलाने का ठेका सिंगापुर की एक कंपनी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नीलामी के बाद दिया।

ग्वादर बंदरगाह पहली बार विवाद और संदेह की चपेट में तब आया जब 2013 में पाकिस्तान सरकार ने इस बंदरगाह को चलाने का ठेका सिंगापुर की कंपनी से लेकर एक चीनी कंपनी के हवाले कर दिया। विशेषज्ञ इस मामले की पारदर्शिता पर आज भी सवाल उठाते हैं। यह वह दौर था जब पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चीनी निवेश की बातें सामने आने लगीं।

जब नवाज शरीफ के नेतृत्व में सरकार बनी तो उसने बताया कि चीनी सरकार ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर के निवेश का इरादा जताया है। इस परियोजना को चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरीडोर का नाम दिया गया और इसके तहत चीन को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की योजना बनाई गई। 2015 में इस समझौत पर हस्ताक्षर हुआ और तब पता चला कि इस परियोजना में सड़कें, रेलवे और बिजली परियोजनाओं के अलावा कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

1958 में ओमान से पाकिस्तान ने खरीदा था ग्वादर पोर्ट

2013 में पाकिस्तान ने इस बंदरगाह को चलाने का ठेका सिंगापुर से लेकर एक चीनी कंपनी के हवाले कर दिया

57 अरब डॉलर की लागत से बन रहा है चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

2011 में ग्वादर शहर को बलूचिस्तान की शीतकालीन राजधानी घोषित किया था पाकिस्तान ने

इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप (आईसीजी) की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) की वजह से बलूचिस्तान के स्थानीय लोग बेरोजगार और बेघर हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह सीपीईसी वाले क्षेत्र में बड़ी संख्या में सेना की तैनाती है। स्थानीय लोग परियोजना का लगातार विरोध कर रहे हैं। सीपीईसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित-बाल्तिस्तान इलाके से गुजरता है, जिस पर भारत का दावा है। इसी वजह से परियोजना को लेकर भारत शुरू से ही आपत्ति जताता रहा है।

15 हजार सैनिकों को किया गया है तैनात

इससे पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि 9000 पाकिस्तानी सैनिकों और 6000 पैरामिलिट्री सैनिकों वाले Special Security Division (SSD) को CPEC प्रोजेक्ट और उसपर काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है।

पर्यावरण को क्षति

बलूचिस्तान और सिंध प्रांत का मानना है कि इस परियोजना के तहत बनने वाले रास्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक प्रोजेक्ट का अधिकतर फायदा पंजाब प्रांत को मिलेगा, जो कि पहले से ही देश का सबसे धनी और राजनीतिक रूप से ताकतवर प्रांत है। सिंध में कोयला आधारित बिजली संयंत्र लगाने से न सिर्फ यहां पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि लोगों को भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है।

ग्वादर बंदरगाह से कम मुनाफे की आशंका के चलते पहले से अशांत बलूचिस्तान में और अशांति फैल सकती है। रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि सरकार को इस प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले लोगों पर अत्याचार और उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि यह प्रोजेक्ट सामाजिक बंटवारे, राजनीतिक गतिरोध और नए संघर्षों की वजह बनता जा रहा है।

सिंगापुर जैसा बनाने का झांसा

चीन ने पाकिस्तान को समझाया कि गवादर बंदरगाह पूरा होने पर पाकिस्तान, सिंगापुर और हांगकांग से ज्यादा समृद्ध हो जाएगा। यह केवल उसकी आंखों में धूल झोंकने के बराबर था। चीन वास्तव में पाक के जरिए कई पड़ोसी देशों को साधना चाहता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक सच यह है कि चीन ने पाकिस्तान में जो आर्थिक गलियारा बनाया है, इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर में प्रवेश पाना है और सच कहा जाए तो यह केवल भारत को घेरने की चीन की साजिश है, जिसमें पाकिस्तान उसका अनजाने ही सहयोगी बन गया है। पाकिस्तान यह कहता है कि चीन ने जो आर्थिक गलियारा बनाया है उससे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी।

चीन ने पाकिस्तान को यह समझाया है कि यद्यपि अमेरिका पाकिस्तान को बीच-बीच में आर्थिक सहायता दे रहा है, लेकिन विश्व की बदलती राजनीति में अमेरिका अब भारत के बहुत निकट आ गया है। यह पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है। पाकिस्तान चीन के इस झांसे में आ गया है और चीन जैसा कहता है वैसा ही वह कर रहा है।

चीनी कब्जे में ग्वादर बंदरगाह

पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी भाग में बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे पर स्थित एक पोर्ट सिटी है। यह ग्वादर जिले का केंद्र है। ग्वादर शहर एक 60 किमी चौड़ी तटवर्ती पट्टी पर स्थित है, जिसे मकरान कहा जाता है। ईरान तथा फारस की खाड़ी के देशों के बहुत पास होने की वजह से इस शहर का सैन्य और राजनीतिक महत्व है। पाकिस्तान प्रयास कर रहा है कि इस बंदरगाह के जरिए न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन, अफगानिस्तान व मध्य एशिया के देशों का भी आयात-निर्यात को बढ़ावा मिले।

बदहाल होती अर्थव्यवस्था

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हाल दिनोंदिन बदतर होता जा रहा है। एक अनुमान है कि महंगाई बढ़ने के चलते पाकिस्तान में इस बार 10 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वहां की एक तिहाई अर्थव्यवस्था पर सेना का कब्जा है। सेना के आगे वहां की निर्वाचित सरकार भी बेबस है।

इस संस्था के नियंत्रण में व्यापार

डॉन अखबार के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजनेस फौजी फाउंडेशन के पास हैं। फौजी फाउंडेशन, सीमेंट, फर्टिलाइजर, बिजली और खाद्य उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों का नियंत्रण हैं। इसके अलावा 15 प्रोजेक्ट का नियंत्रण भी इसके पास है। फौजी के अलावा देश में शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी (डीएचए) है, जिसके तहत 50 से अधिक व्यापार पर पूरा कंट्रोल है।

डीएचए को कानून के जरिए बनाया गया है, जिसके कार्य का क्षेत्र कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, गुंजरावाला, बाहवलपुर, पेशावर और क्वेटा में है।

भारत का विरोध इसलिए है क्योंकि बिजनेस-विदेशों में काफी संख्या में पाकिस्तानी सेना के खाते और बेनामी संपत्ति हैं। भारत का विरोध करना भी पाकिस्तानी सेना के लिए एक तरह का व्यापार है।

अर्थव्यवस्था से नहीं है लेना-देना

पाकिस्तानी सेना को देश की अर्थव्यवस्था और वहां के नागरिकों की दयनीय हालत से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहता है कि प्रत्येक पाकिस्तानी रुपये को केवल भारत विरोध में लगाया जाए, ताकि उसका बरसों पुराना एजेंडा चलता रहे।

ड्रेगन को फायदा, पाक को नुकसान

इसी मुहिम के तहत ग्वादर पोर्ट भी पाकिस्तानी सेना के दखल के साथ बन रहा है। कमर्शियल हब बनाए जाने के नाम पर शुरू हुए इस प्रोजेक्ट से यह इलाका विकास की बजाय सेना के बड़े ठिकाने में तब्दील होता जा रहा है। प्रोजेक्ट की वजह से लोग बेघर हो रहे हैं और उनका रोजगार छिन रहा है। वहीं आर्थिक गलियारे के बहाने चीन पाकिस्तान के बाजार में बुरी तरह छा गया है।

अपराधी को अंजाम तक पहुंचाने में अब तकनीक का सहारा

देश में अपराधी न्याय प्रणाली को फास्ट ट्रैक बनाने के लिये सीसीटीएनएस डिजिटल पुलिस पोर्टल का शुभारंभ

* दीपक राजदान

जैसे-जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराधी तकनीक का सहारा ले रहे हैं, ऐसे में राज्यों में कानून तोड़ने वालों को सजा दिलाने में पुलिस जांचकर्ताओं को कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है। यद्यपि इस स्थिति में क्रान्तिकारी बदलाव आ रहा है। इस वर्ष अगस्त माह में भारत सरकार ने डिजिटल पुलिस पोर्टल का शुभारंभ किया, यह भारत सरकार के क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टमस का एक अंग है। यह न केवल पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधियों को तेजी से पकडने में मदद करेगा बल्कि अपराध पीड़ित को समाधान की प्रक्रिया में भी ऑनलाइन मदद करेगा।

देश में अपराधों में बढ़ोतरी का ग्राफ बढ़ा है वर्ष 2014 में अपराधों की संख ?या 28.51 लाख थी जो वर्ष 2015 में बढ़कर 29.49 लाख हो गई। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट (2016-17) के अनुसार वर्ष 2011 में कुल उपलब्ध अपराध आंकड़ों में आईपीसी अपराधों का प्रतिशत हिस्सा 37.2 प्रतिशत था औऱ यह वर्ष 2015 में बढ़कर 40.3 प्रतिशत हो गया। अपराध दर में यह बढोत्तरी प्रति एक लाख जनसंख्या पर वर्ष 2012 में 497.9 से वर्ष 2015 में 581.8 हो गयी।

इस तरह की परिस्थितियों में विभिन ?न सुविधाओं से युक ?त डिजिटल पुलिस पोर्टल स ?थि ? ?ति में परिवर्तन का परिचायक हो सकता है। सीसीटीएनएस पोर्टल जांचकर्ताओं को पूरे देश में किसी भी अपराधी के इतिहास की पूरी जानकारी देगा। गूगल टाइप एडवान्स सर्च इन्डिज से सुसज्जित एवं विश्लेषण जानकारी देने में सक्षम, यह पोर्टल देश की अपराधी न्याय प्रणाली का आधार साबित हो सकता है। राज्य पुलिस संगठनों और जाँच एजेंसी जैसे सीबीआई, आईबी, ईडी और एनआईए के लिए यह डिजिटल पुलिस पोर्टल, 11 सर्च और 44 रिपोर्ट की सुविधाओँ के साथ, अपराध और अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस उपलब्ध कराएगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार लाएगा और देश में पुलिस की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। डिजिटल पोर्टल नागरिकों को एफआईआर दर्ज करने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। प्रारंभिक रूप से 34 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सात पब्लिक डिलीवरी सर्विसिज होंगी जैसे कर्मचारियों, किराएदारों, परिचारिकाओँ आदि के पते की पुष्टि, लोक कार्यक्रमों की मेजबानी की इजाजत, वस्तु और वाहन चोरी खोया और पाया आदि की जानकारी उपलब ?ध होगी। यह पोर्टल अपराधिक जांच को पूरी तरह से नागरिक-मैत्री सेवा के रूप में बदल देगा। नागरिकों की रिपोर्टस और (अनुरोध), जांच कार्य के लिये बिना समय गंवाए सीधे राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की पुलिस को भेजे जा रहे हैं।

वर्ष 2004 में गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में स्टेन्ड अलोन आधार पर अपराधिक रिकॉर्डस का कम्पयूटरीकरण करने के उद्देश्य से, राज ?य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की परियोजना (मार्डनाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोरसिस) (एमपीएफ) के एक भाग के रूप में कामन इन्टेगरेटीड पुलिस एप्लीकेशन (सीआईपीए) परियोजना की शुरूआत की। बाद में आपराधिक रिकॉर्डस के राष्ट्रीय डेटाबेस की आवश्यकता महसूस होने पर गृह मंत्रालय ने वर्ष 2009 में सीसीटीएनएस की शुरूआत, सभी पुलिस स्टेशनों को एक कामन एप्लीकेशन साफ्टवेयर के अन्तर्गत आपस में जोड़ने और जांच, नीति निर्धारण, डेटा विश्लेषण, अनुसंधान और नागरिक सेवाएं प्रदान करने की।

यह परियोजना राज्य पुलिस अधिकारियों को अपराध एवं अपराधियों के आंकड़ों को सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में दर्ज करने का मंच प्रदान करती है। जिसे राज्य डेटा बेस के माध्यम से स्टेट डाटा सेन्टर, राष्ट्रीय आंकड़ों के लिए नेशनल डाटा सेन्टर से प्राप्त किया जा सकता है। इस परियोजना पर कुल मंजूर व्यय राशि दो हजार करोड़ रुपये है। केन्द्र सरकार राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को हार्डवेयर, सीसीटीएऩएस सॉफ्टवेयर, कनेक्टविटी, एकीकृत प्रणाली, परियोजना प्रबंधन एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है। केन्द्र सरकार ने राज्यों को 1,450 करोड़ रुपये की राशि दी है जिसमें से 1,086 करोड़ रुपये राज्यों औऱ केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा व ?यय किए जा चुके हैं।

वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत 15,398 पुलिस स्टेशनों में से 14,284 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएऩएस सॉफ्टवेयर लगाया गया है। 14,284 पुलिस स्टेशनों में से कुल 13,775 पुलिस स्टेशन इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए शतप्रतिशत एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। 15,398 पुलिस स्टेशनों में से 13,439 पुलिस स्टेशन इस योजना में शामिल हैं। 15,398 पुलिस स्टेशनों में से 13,439 पुलिस स्टेशन इस योजना में शामिल है, यह पहले से ही जुड़े हुए हैं। अपराध और अपराधियों के रिकॉर्डस राज्य एवं राष्ट्रीय डेटा बेस से जुड़े हुए हैं। सीसीटीएनएस का प्रयोग करते हुए मार्च 2014 में 1.5 लाख से कम एफआईआर दर्ज हुई जो जून 2017 में बढ़कर 1.25 करोड़ हो गई। 34 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने प्रधान सेवाओं जैसे अपराध रिपोर्ट करना, सत्यापन का अनुरोध, कार्यक्रमों की अनुमति इत्यादि के लिए अपने राज्य नागरिक पोर्ट सेवाओँ की शुरूआत की है। 36 में से 35 राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय अपराध औऱ अपराधिक डेटाबेस के साथ आंकड़े साझा कर रहे हैं। इस प्रणाली में अपराध औऱ अपराधिक आंकड़ों के 7 करोड़ रिकॉर्डस हैं जिसमें 2.5 करोड़ एफआईआर रिकॉर्ड्स औऱ संबद्ध आंकड़े शामिल है।

सीसीटीएनएस परियोजना का दायरा पुलिस आंकड़ों को अपराधिक न्याय प्रणाली के अनूय स्तंभो के साथ एकीकृत करने जैसे न्यायालय, जेल, अभियोग, पैरवी, फोरेंसिक और फ़िंगरप्रिंट्स और किशोर गृहों की पहुंच तक बढ़ाया गया है। इसी के अनुसार एक नई प्रणाली ङ्क अंतर परिचालन आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) भी विकसित की गई है। आईसीजेएस प्रणाली का विकास वांछित डेटा पाने के लिए एडवांस सर्च सेवा के साथ एक डैशबोर्ड के रूप में किया गया है। इस आईसीजेएस परियोजना का संचालन एक कार्य समूह द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में किया गया है।

राज्य पुलिस संगठनों और सभी जांच एजेंसियों का डिजिटल पुलिस पोर्टल द्वारा सशक्तिकरण किया गया है। यह पोर्टल सीसीटीएनएस राष्ट्रीय डेटा बेस पर आधारित 11 सर्च और 44 रिपोर्ट प्रदान करता है। यह अग्रिम खोज (एडवांस सर्च) गहन खोज और विश्लेषणात्मक तकनीक से सज्जित है। यह प्रारंभिक खोज दो तरह से पूरी की जा सकती है। खोज के प्रथम चरण में सर्च प्रक्रिया पूर्ण दर्ज किए गए नाम को दिखायेगी (उदाहरणार्थ नाम एवं परिजन नाम) किन्तु जहां एक अथवा दोनों नाम हैं वही रिकॉर्ड देगा। सर्चिंग के द्वितीय चरण में यह आंशिक मेल के साथ रिकॉर्ड प्रदान करेगा और पूर्ण परिणाम भी उपलब्ध करायेगा।

पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के फिल्टर्स उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से आँकड़े छांटे जा सकते है और नजदीक लाए जा सके है। व्यक्ति के नाम, व्यक्ति एवं परिजन नाम, व्यक्ति एवं धारा/अनुच्छेद, निशुल्क आधारभूत खोज और दर्ज एफआईआर पर सटीक खोज, संख्या/मोबाइल नम्बर/इमेल के द्वारा सर्च पूरी की जा सकती है। यह सीसीटीएनएस पोर्टल जांचकर्ताओं को पूरे देश में किसी भी अपराधी के इतिहास की पूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।

यह सॉफ्टवेयर गूगल टाइम एडवांस सर्च इंजन और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स प्रस्तुत करता है। अभी हाल ही में इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग तमिलनाडु की कुछ मानसिक रूप से विकसित महिलाओं को ढूंढने के लिए उत्तराखंड में किया गया और उन्हें उनके परिवार से मिलाया गया। बाद में इस सीसीटीएनएस डेटाबेस को वाहन पंजीकरण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डेटाबेस से जोड़ा जाएगा।

डिजिटल पुलिस पोर्टल की शुरूआत के बाद से नागरिकों ने पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करना शुरु कर दिया है। यह डिजिटल पुलिस पोर्टल दोस्ताना रूप में नागरिक-केंद्रित सेवाओं को सुगम रूप से उपलब ?ध कराने के लिए सरकार की मदद कर रहा है जो आज के आधुनिक कल्याणकारी राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

श्री दीपक राजदान एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और वर्तमान में द स्टेट्समैन, नई दिल्ली में संपादकीय सलाहकार हैं। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं।

शहरी पेयजल तथा सीवरेज प्रबंधन के लिये 838 करोड़ मंजूर: जयवर्धन सिंह

भोपाल,(प्रेस सूचना केन्द्र)। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने कहा है कि शहरी अधोसंरचना में स्वच्छ पेयजल तथा सीवेज प्रबंधन को प्रमुखता दी गयी है और कि इसके लिये विभागीय बजट में 838 करोड़ 19 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि शहरी अधोसंरचना निर्माण के लिये वांछित राशि की व्यवस्था के लिये केन्द्र और राज्य शासन के वित्तीय संसाधनों के साथ ही विश्व स्तरीय वित्त पोषक संस्थाओं से सहायता ली जा रही है। वर्ल्ड बैंक से लगभग 1080 करोड़, ए.डी.बी. से 5400 करोड़ और के.एफ. डब्ल्यू. से 525 करोड़ रूपये के ऋण/अनुदान अनुबंध किये गये हैं।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 66 नगरों में पेयजल के 2682 करोड़ और 19 नगरों में सीवरेज के 925 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं। नर्मदा नदी के तटीय 16 नगरीय निकायों में 707 करोड़ के सीवरेज के कार्य अभी चल रहे हैं। जल्दी ही इन योजनाओं का लाभ जनता को मिलने लगेगा।

प्रदेश में 24 लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 137 करोड़ स्वीकृत

भोपाल,(प्रेस सूचना केन्द्र)। प्रदेश में इस वर्ष 6 जिलों की 24 लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 137 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की गई है। इन योजनाओं के पूरा होने पर 8 हजार 979 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होगी। स्वीकृत लघु सिंचाई योजनाओं का काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिये गये हैं।

राजगढ़ जिले में 3 लघु सिंचाई योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। खोखरिया तालाब के लिये 4 करोड़ 90 लाख, करनपुरा बैराज के लिये एक करोड़ 96 लाख और भागोरी तालाब यूनिट-1 के लिये 5 करोड़ 96 लाख स्वीकृत किये गये हैं। सीहोर जिले के संगम दूधी बैराज के लिये 2 करोड़ 70 लाख की मंजूरी दी गई है। विदिशा जिले के केशरी बैराज के लिये 11 करोड़ 72 लाख स्वीकृत किये गये हैं। इस योजना के पूरा होने पर 980 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।

शाजापुर जिले में 16 लघु सिंचाई योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। युनसी बैराज के लिये 12 करोड़ 89 लाख स्वीकृत किये गये हैं। इस योजना के पूरा होने पर एक हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। तुगानी वियर लघु सिंचाई योजना के लिये 7 करोड़ 15 लाख, मोहना (बान्दोर) बैराज 7 करोड़ 87 लाख, अमसियाखेड़ी-2 बैराज 4 करोड़ 4 लाख और बज्जाहेड़ा वियर के लिये 2 करोड़ 48 लाख की मंजूरी दी गई है। जिले में पिपलिया गुजर वियर के लिये 4 करोड़ 77 लाख, दुहनी बैराज 2 करोड़ 15 लाख, रामपुरा गूजर बैराज 3 करोड़ 96 लाख, लालाखेड़ी गूजर बैराज 8 करोड़ 25 लाख, अंखेली बैराज के लिये 10 करोड़ 77 लाख और घाटवाला महाराज बैराज के लिये 4 करोड़ 76 लाख स्वीकृत किये गये हैं। जिले में टान्डा वोरी बैराज के लिये 5 करोड़ 34 लाख, वाटावाड़ी तालाब 3 करोड़ 66 लाख रुपये, बिरगोद तालाब 6 करोड़ 64 लाख रुपये, भाटाहेड़ी तालाब 4 करोड़ 77 लाख और खोरियाइमा तालाब के लिये 4 करोड़ 79 लाख मंजूर किये गये हैं।

सागर जिले की ईश्वरपुरा बैराज के लिये एक करोड़ 55 लाख की राशि मंजूर की गई है। आगर जिले में गुदरावन बैराज के लिये 6 करोड़ 70 लाख और लटुरी गर्जर तालाब के लिये 7 करोड़ 64 लाख की राशि मंजूर की गई है।

मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए पिछले सालों में जो उपाय किए गए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नई सरकार ने कई क्षेत्रीय योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार का प्रयास है कि सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके पानी का अपव्यय रोका जाए और फिर फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाए। जल संग्रह केन्द्रों का इस्तेमाल करके भी खेती को सिंचित किया जाएगा।

राष्ट्रीय उद्यानों के प्रभावी प्रबंधन में शीर्ष पर मध्यप्रदेश

पेंच टाइगर रिजर्व ने देश में पाई सर्वोच्च रैंक

भोपाल ,(प्रेस सूचना केन्द्र)। मध्यप्रदेश ने टाइगर राज्य का दर्जा हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने राष्ट्रीय उद्यानों के संचालकों और फील्ड स्टाफ को बधाई दी है।

भारत सरकार द्वारा जारी टाइगर रिज़र्व के प्रबंधन की प्रभावशीलता मूल्यांकन 2018 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व ने देश में सर्वोच्च रैंक हासिल की है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाला टाइगर रिजर्व माना गया है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में अनुपम प्रबंधन योजनाओं और नवाचारों को अपनाया गया है।

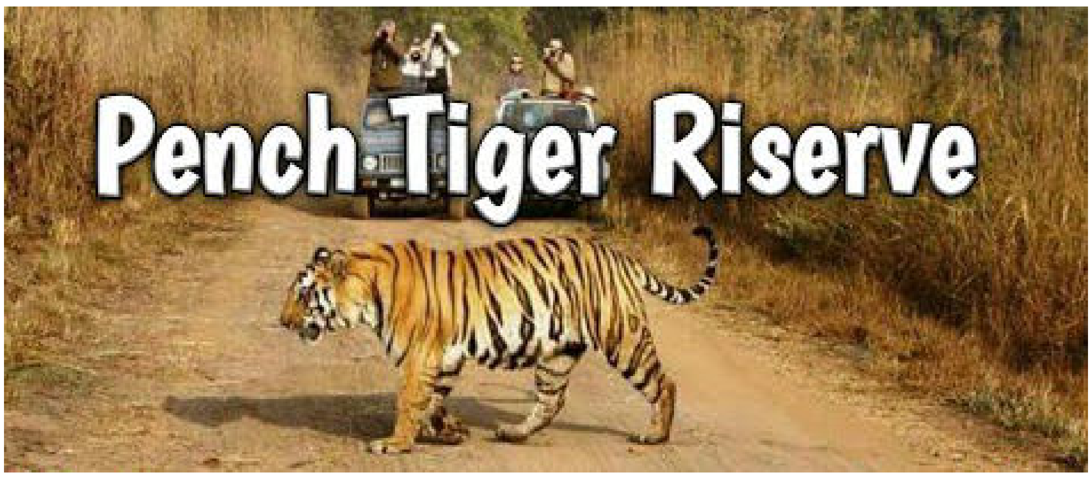

उल्लेखनीय है कि वन्य-जीव संरक्षण मामलों पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रभावी प्रबंधन के आकलन से संबंधित आंकड़ों की आवश्यकता होती है। ये आंकड़ें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र में रखे जाते हैं।

टाइगर रिजर्व की प्रबंधन शक्तियों का आकलन कई मापदण्डों पर होता है जैसे योजना, निगरानी, सतर्कता, निगरानी स्टाफिंग पैटर्न, उनका प्रशिक्षण, मानव-वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी, संरक्षण, सुरक्षा और अवैध शिकार निरोधी उपाय आदि।

देश में पेंच टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को उत्कृष्ट माना गया है। फंटलाइन स्टाफ को उत्कृष्ट और ऊर्जावान पाया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दर्ज सभी मामलों में पैरवी कर आरोपियों को दंडित करने में प्रभावी काम किया गया। मानव-बाघ और बाघ-पशु संघर्ष के मामलों में पशु मालिकों को तत्काल वित्तीय राहत दी जा रही है। साथ ही उन्हें विश्व प्रकृति निधि भारत से भी सहयोग दिलवाया जा रहा है। इसके साथ ही नियमित चरवाहा सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं। चरवाहों के स्कूल जाने वाले बच्चों को शैक्षिक सामग्री वितरित की जा रही है। इसके अलावा, ग्राम स्तरीय समितियों, पर्यटकों के मार्गदर्शकों, वाहन मालिकों, रिसॉर्ट मालिकों और संबंधित विभागों और गैर सरकारी संगठनों के प्रबंधकों के प्रतिनिधियों की बैठकें भी नियमित रूप से होती हैं। पर्यटन से प्राप्त आय का एक तिहाई हिस्सा ग्राम समितियों को दिया जाता है। परिणामस्वरूप इन समितियों का बफर ज़ोन के निर्माण में पूरा सहयोग मिलता है। पर्यटन से प्राप्त आय पार्क विकास फंड में दी जाती है और इसका उपयोग बेहतर तरीके से किया जाता है।

बांधवगढ़ में ईको विकास समितियाँ

इसी तरह, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने बाघ पर्यटन से प्राप्त राशि का उपयोग करके ईको विकास समितियों को प्रभावी ढंग से पुनर्जीवित किया है। वाटरहोल बनाने और घास के मैदानों के रख-रखाव के लिए प्रभावी वन्य-जीव निवास स्थानों को रहने लायक बनाने का कार्यक्रम भी चलाया गया है। मानव-वन्यजीव संघर्षों को ध्यान में रखते हुए, मवेशियों और मानव मृत्यु और जख्मी होने के मामले में राहत एवं सहायता राशि के तत्काल भुगतान की व्यवस्था की गई है।

कान्हा में अनूठी प्रबंधन रणनीतियाँ

कान्हा टाइगर रिजर्व ने अनूठी प्रबंधन रणनीतियों को अपनाया है। कान्हा पेंच वन्य-जीव विचरण कारिडोर भारत का पहला ऐसा कारिडोर है। इस कारिडोर का प्रबंधन स्थानीय समुदायों, सरकारी विभागों, अनुसंधान संस्थानों, नागरिक संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। पार्क प्रबंधन ने वन विभाग कार्यालय के परिसर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया है, जो वन विभाग के कर्मचारियों और आस-पास के क्षेत्र के ग्रामीणों के लिये लाभदायी सिद्ध हुआ है।

पन्ना टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी बढ़ाने में पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। शून्य से शुरू होकर अब इसमें वयस्क और शावक मिलाकर 52बाघ हैं। यह भारत के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक अनूठा उदाहरण है। सतपुड़ा बाघ रिजर्व में शामिल सतपुड़ा नेशनल पार्क, पचमढ़ी और बोरी अभयारण्य से 42 गाँवों को सफलतापूर्वक दूसरे स्थान बसाया गया है। यहाँ सोलर पंप और सोलर लैंप का भी प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। वन विभाग ने घटते जंगलों को देखते हुए नए जंगल लगाने के काम में विशेष रुचि दिखाई है,जिसका असर दिखने लगा है।

अब किसान को बाजार के चंगुल से बचाने का वक्त

*पांडुरंग हेगड़े

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसकी स्मृति में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है क्योंकि इस दिन पूरे विश्व में 150 से अधिक देश इसका आयोजन करते हैं और खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। इसका उद्देश्य 2030 तक भूख से मुक्त विश्व का लक्ष्य प्राप्त करना है।

इस वर्ष की विषयवस्तु `प्रवास के भविष्य में बदलाव, खाद्य सुरक्षा में निवेश और ग्रामीण विकास' हैं।

एफएओ का आकलन है कि भूख, गरीबी और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले मौसमी बदलाव की वजह से लगभग 763 मिलियन लोग अपने ही देश में किसानी छोड़कर बेह्तर आजीविका अवसरों की तलाश में प्रवास कर जाते है। भारत की लगभग एक तिहाई आबादी यानी 300 मिलियन से अधिक लोग प्रवासी हैं।

भारत की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि लगभग 84 प्रतिशत लोग अपने राज्य के भीतर ही प्रवास करते हैं और लगभग 2 प्रतिशत लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से बड़ी तादाद में लोग काम और बेह्तर रोजगार की तलाश में भारत के विभिन्न हिस्सों में चले गए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग अल्पकालीन प्रवासी हैं, जो थोड़े समय के लिए मजदूरी करते हैं और इसके बाद अपने मूल राज्य में वापस जाकर अपनी छोटी जोतों पर काम करते हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार जब किसानों से बातचीत की गई तब 45 प्रतिशत किसानों ने कहा कि वे खेती छोड़ना चाहते हैं। इसके कई कारण हैं। इनमें खासतौर से उत्पादकता में गिरावट और युवा पीढ़ी के लिए खेती में कोई आकर्षण न होने की वजह से लोग प्रवास करने पर मजबूर हो जाते हैं।

एफएओ ने आह्वान किया है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं ताकि ग्रामीण युवा अपने घरों को न छोड़ें।

इसके लिए उन्हें लचीली आजीविका प्रदान करनी होगी ताकि प्रवास की चुनौतियों से निपटा जा सके। कृषि से इतर कारोबारी अवसर भी पैदा करने होंगे। इस संबंध में खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी उपक्रमों के जरिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। इस समय यह बहुत आवश्यक है कि ग्रामीण समुदाय को लंबी राहत देने के लिए सतत विकास की योजना तैयार की जाए।

राष्ट्रीय कृषक आयोग ने आह्वान किया है कि कृषि क्षेत्र में युवाओं को कायम रखने के लिए शिक्षित करना चाहिए। आयोग की सिफारिशों को मानते हुए 2007 में संसद ने राष्ट्रीय कृषि नीति को अपनाया था। इसमें कृषि में युवाओं की संलिप्तता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। नीति में कहा गया है कि कृषि संबंधी सह्योगी उद्योगों के जरिए युवाओं को खेती में संलग्न किया जाए। 2014 में केन्द्र में राजग सरकार के आने के बाद इस संकट को दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए। इस संबंध में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इत्यादि ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो किसान समुदाय को राहत पहुंचा रही हैं। ये सभी कार्यक्रम प्रवास के संकट को कम करने का हल प्रदान कर रहे हैं, चाहे यह संकट जलवायु परिवर्तन से पैदा हुआ हो या वर्षा की कमी से फसल खराब होने के कारण पैदा हुआ हो।

सरकार ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जिसके तह्त 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस समय देश के आजादी को 75 वर्ष पूरे होंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए नए प्रयास कर रही है।

सबसे अनोखा कदम है `आर्या' यानी अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। इसकी शुरूआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने की है। इसका उद्देश्य है कि सतत आय का जरिया प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर पैदा करना। इस पहल के जरिए बाजार तक पहुंच बनाई जाएगी, ताकि युवा पीढ़ी अपने गांव को लौट सके। कृषि विज्ञान केन्द्र इस योजना को 25 राज्यों में क्रियान्वित कर रहे हैं। इस तरह प्रत्येक राज्य के कम से कम एक जिले में यह योजना चल रही है। इस योजना के तह्त कारगर तरीकों को प्रकट करना है जो युवाओं के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी हों और जिनमें उन्हें आकर्षित करने की क्षमता हो।

`आर्या' की शुरूआत के समय प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा था, `जब तक कृषि को आकर्षक और फायदेमंद नहीं बनाया जाएगा, तब तक युवाओं को इस क्षेत्र में कायम रखने में कठनाई होगी।' जब मौजूदा किसान खेती करना छोड़ रहे हों, तो ऐसे समय में अगर कृषि को फायदेमंद न बनाया गया तो शिक्षित युवाओं को खेती में प्रवृत्त करना बहुत कठिन होगा। जब तक उत्पादकता या आय में इजाफा नहीं होगा, तब तक युवा इसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे।

स्किल इंडिया के अंग के रूप में एक अन्य पहल को भारतीय कृषि कौशल परिषद का समर्थन प्राप्त है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र की क्षमता बढ़ाना और प्रयोगशाला तथा खेतों के बीच के अंतराल को कम करना है। यह कार्य किसानों, खेत मजदूरों और संबंधी उद्योग में संलग्न लोगों के कौशल को बढ़ाकर किया जा रहा हैं।

आशा की जाती है कि इन योजनाओं के जरिए युवाओं को खेती की तरफ दोबारा आकर्षित करने में सफलता मिलेगी। अगर ऐसा न किया गया तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां किसान परिवार से संबंधित युवा खेती को रोजगार के रूप में अपनाने से परहेज करेंगे। उन्हें इस बात का अनुभव है कि किसान का जीवन कितना कठिन होता है और कड़ी मेह्नत के बावजूद उसे अच्छी आय प्राप्त नहीं होती। उन्हें यह अनुभव भी है कि सूखे के समय फसल का कितना नुकसान होता है और किसान कर्जदार हो जाते हैं।

सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदमों के कारण और खेती में तकनीकी नवाचारों के जरिए नए अध्याय की शुरूआत हो रही हैं। इन प्रयासों के जरिए तकनीकी संकंट दूर होने में मदद मिलेगी और उपभोक्ता के साथ सीधा संबंध स्थापित होगा, जिससे आय सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार द्वारा 2016 में ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) की शुरूआत एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अखिल भारतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबारी पोर्टल है। इसके नेटवर्क के जरिए मौजूदा कृषि उत्पाद विपरण समिति (एपीएमसी) मंडियां कृषि जिंसों के लिए एक समेकित राष्ट्रीय बाजार के रूप में काम करती हैं।

देश की 25 प्रतिशत आबादी 18-29 वर्ष आयु वर्ग की है। इस आबादी में खेती की तरफ युवाओं को आकर्षित करने की आपार क्षमता मौजूद है। खेती युवा पीढ़ी को वह अवसर प्रदान करती है कि वह खाद्यान में इजाफा करके देशवासियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सरकार को ऐसे सफल युवा किसानों को चिन्हित करना चाहिए और युवाओं को आकर्षित करने के लिए नीतिगत समर्थन प्रदान करना चाहिए, ताकि लाखों लोगों को सुरक्षित एवं पोषक भोजन प्राप्त होने का महान लक्ष्य पूरा हो सके।

इन परिस्थितियों के तह्त हमें बहु-आयामी रणनीतियों की जरूरत है ताकि युवा किसानों को खेती में प्रवृत्त किया जा सके। `जय जवान-जय किसान' सूत्रवाक्य की तरह हमें ऐसा सूत्रवाक्य बनाना चाहिए कि किसान भी धरती-माता का एक सिपाही है, जो मिट्टी की सुरक्षा करता है तथा देशवासियों का पेट भरता है।

*लेखक कर्नाटक के स्वतंत्र पत्रकार और स्तंभकार हैं।इस आलेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं।

औद्योगिक विकास के लिए श्रम कानूनों में सुधार

सरकार ने भारत में निवेश आकर्षित करने की बड़ी बाधा माने जाने वाले जटिल श्रम कानूनों के सुधार की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले दो महीनों में ही श्रम सुधारों से संबंधित दो नए विधेयक पेश कर श्रम कानूनों से जुड़ी गुत्थी सुलझाने की प्रतिबद्धता दर्शायी है। इन दोनों कानूनों- वेतन संहिता विधेयक और पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी हालात विधेयक 2019 में 17 पुराने श्रम कानूनों का समावेश किया गया है। इस तरह श्रम कानूनों संबंधी प्रावधानों की कुल संख्या 747 से घटकर 203 रह गई है। सहज अनुपालन के लिए एक अह्म प्रस्ताव एकल पंजीकरण, एकल लाइसेंस और सेवा एवं उद्योग प्रतिष्ठान के लिए एकल रिटर्न भरने के साथ ही देश भर में कहीं भी कम-से-कम 10 कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का है। इससे न केवल विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुधरेगी बल्कि यहां नया कारोबार लगाना भी अधिक सरल हो सकेगा। फिलहाल एक इकाई को आठ श्रम कानूनों के तह्त पंजीकरण कराना होता है, अलग-अलग लाइसेंस लेने होते हैं और 17 कानूनों के लिए रिटर्न भरना होता है।

इसी तरह पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी हालात विधेयक में किए गए एक प्रावधान के मुताबिक, कंपनियों को पांच साल की अवधि के लिए अनुबंधित कामगारों वाली कई परियोजनाएं पूरी करने के लिए एक ही लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। फिलहाल कंपनियों को अलग-अलग परियोजनाओं के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं जिससे उनको पूरा करने में देर होती है। हालांकि कंपनियों के लिए पांच वर्षों के दौरान जरूरत पड़ने वाले अनुबंधों की संख्या के बारे में बताने का जिक्र करने वाले उपबंध पर फिर से गौर किया जाना चाहिए। निर्धारित संख्या से एक भी अधिक कर्मचारी रखने के लिए लाइसेंस की दोबारा अर्जी लगाने को कहने से कानून का अनुपालन सरल बनाने का विचार धराशायी हो जाएगा।

वेतन विधेयक संहिता का नया मसौदा स्वागतयोग्य है क्योंकि वर्ष 2017 में पेश किया गया पिछला मसौदा सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन कानून के दायरे में लाने की बात करता था। सरकार ने राज्यों के लिए अलग-अलग (राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन) तय करने के प्रस्ताव पर उनकी चिंताएं भी दूर करने की कोशिश की है। यह राज्यों के लिए एक अनिवार्य ढांचा तय करेगा जो(श्रमिकों की न्यूनतम बुनियादी जरूरतों) पर आधारित होगा। इससे राज्यों को एक ही स्तर पर होने के बावजूद अपने यहां न्यूनतम वेतन का अलग स्तर तय करने की सुविधा मिलेगी। अगला तर्कसंगत कदम इस स्तर को वाजिब स्तर पर रखने का होगा ताकि सभी राज्य प्रतिस्पर्द्धा के मोर्चे पर पीछे छूटे बगैर नियम का पालन कर सकें।

लेकिन इस कानून में रखा गया यह प्रस्ताव गलत है कि न्यूनतम वेतन(प्राथमिक तौर पर)दक्षता या भूगोल या इन दोनों के आधार पर तय किया जाएगा। कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने से बाजार के सुचारु संचालन में बाधा आएगी क्योंकि न्यूनतम स्तर से आगे वेतन बाजार से ही जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा केरल में कुशलता के आधार पर 10 अलग तरह के न्यूनतम वेतन हैं जबकि चंडीगढ़ में नौ और बिहार एवं दिल्ली में छह-छह तरह के न्यूनतम वेतन हैं। यह विधेयक एक राज्य में न्यूनतम वेतन के अलग स्वरूप पैदा कर सकता है। आगे चलकर श्रम सुधार की दिशा में असली परीक्षा औद्योगिक संबंध विधेयक संहिता पर होगी।

कारोबारी इकाइयों को अपने कर्मचारियों की छंटनी करने या धंधा बंद करने के मामले में अधिक लचीला बनाने के लिए यह सुधार अह्म होगा। अधिक कर्मचारियों को नौकरी पर रखने और आर्थिक स्थिति को काबू में रखने के लिए इकाइयों को अधिक लचीला बनाने से वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ेगी।

कमलनाथ एमपी में फिर ले आए इंस्पेक्टर राज

भारत की राजनीति में खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का श्री गणेश करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री पीव्ही नरसिंम्हराव और डाक्टर मनमोहन सिंह का अनुमान था कि देश अब आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा। डाक्टर मनमोहन सिंह तो बार बार कहते रहे कि भारत में इंस्पेक्टर राज अब कभी नहीं लौटेगा। तीन दशकों तक हिंदुस्तान उसी राह पर चलता रहा। आज भी हिंदुस्तान पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का अनुष्ठान कर रहा है। इसके विपरीत मध्यप्रदेश में एक बार फिर इंस्पेक्टर राज लौट आया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्ता का जो फार्मूला इस्तेमाल किया है उससे कांग्रेस की सत्ता में वापिसी तो हो ही गई साथ में अजेय मानी जाने वाली भाजपा के भीतर भी भगदड़ मच गई है। भाजपा के होश तो तब उड़े जब कांग्रेस ने भरी विधानसभा में उसके दो विधायक अपने पाले में खड़े कर लिए। अब भाजपा अपने विधायकों को समेटने में जुटी हुई है और विधायक हैं कि वे कमलनाथ की राजनीति से सहमत होते नजर आ रहे हैं।

कमलनाथ की राजनीति की ये कलाकारी आखिर क्यों जादू की तरह विधायकों के सिर चढ़कर बोल रही है। इसे समझने के लिए भाजपा के पंद्रह साल पुराने शासनकाल पर गौर करना होगा। वर्ष 2003 में बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पर भाजपा सत्ता में आई थी। उसने पंद्रह सालों तक इस पर खूब काम किया। भारी भरकम कर्ज लेकर आधारभूत संरचना का विकास भी किया गया। जनता के लिए सरकार ने विभिन्न तरह की योजनाएं चलाईं जिनके हितग्राहियों ने भी पर्याप्त लाभ उठाया। हितग्राहियों से ज्यादा लाभ अफसरों ने उठाया। उन्होंने जनता के लिए जारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार किया और धन संग्रह भी किया। सातवें वेतनआयोग की सिफारिशों की वजह से अफसरों और कर्मचारियों का वेतन भी खासा बढ़ता गया। आज ये स्थिति है कि हर महीने सरकार अपने अमले को 3200 करोड़ रुपए वेतन भत्तों के नाम पर देती है। जबकि उसकी आय लगभग चार हजार करोड़ रुपए मासिक है।

मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने भाषणों में बार बार कहते हैं कि भाजपा की सरकार खाली खजाना छोड़कर गई है। जबकि हकीकत ये है कि पिछली सरकार का बजट आधिक्य 137 करोड़ रुपए था। उसने चालीस हजार करोड़ की अर्थव्यवस्था को एक लाख छह हजार करोड़ की विशाल अर्थव्यवस्था का स्वरूप देने में सफलता पाई थी। हर महीने सरकार के खजाने में चार हजार दो सौ करोड़ रुपए आ ही जाते हैं। आज प्रदेश में बिजली सरप्लस है। सड़कों का जाल तैयार है। पेयजल की उपलब्धता बढ़ी है। सिंचाई का रकबा 6 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 33 हजार हेक्टेयर हो चुका है। इसके बावजूद भाजपा की शिवराज सिंह सरकार न तो औद्योगिक विस्तार कर सकी और न ही रोजगार के अवसर पैदा कर सकी। यही वजह है कि उसके खिलाफ असंतोष की आग भीतर ही भीतर सुलगती रही।

पिछले विधानसभा चुनावों में स्पष्ट मतविभाजन की वजह से भाजपा के वोट तो बढ़े लेकिन वोटों की बढ़त के साथ साथ कांग्रेस ने अधिक विधायक लेकर सत्ता छीन ली। भाजपा के नेता बार बार कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत की है। इसकी वजह ये है कि 230 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 114 विधायक हैं जबकि भाजपा 108 विधायकों के साथ दूसरा बड़ा राजनीतिक दल है। बहुमत के लिए कांग्रेस को 116 विधायकों की जरूरत थी। उसने चार निर्दलीयों, 2 बसपा और एक सपा के विधायकों को साथ लेकर आरामदायक बहुमत जुटा लिया। दो भाजपा विधायकों शरद कोल और नारायण त्रिपाठी के आ जाने से उसकी स्थिति और मजबूत हो गई है। इस फेरबदल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है।

अब कमलनाथ पुरानी कांग्रेस के अपने फार्मूले पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रोज रोज अफसरों के तबादलों की सूचियां निकल रहीं हैं। तबादले करवाने, मनचाही पोस्टिंग करवाने और तबादले निरस्त करवाने वालों की भीड़ सत्ता के गलियारों में जुट गई है। विधायक विश्रामगृह की रंगीनियां लौट आईं हैं। राज्य मंत्रालय के गलियारे कार्यकर्ताओं से पट गए हैं। इसका लक्ष्य अफसरों और कर्मचारियों की वह आरामतलब फौज है जिसे हर महीने सरकारी खजाने से 3200 करोड़ रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं। सरकारी अमले का वेतन अधिक है और खर्च बहुत कम है। साथ में भ्रष्टाचार से जुटाया धन भी इफरात है। बैंकों में भी इसी वर्ग ने भारी रकम जमा कर रखी है। धन की हवस इस वर्ग के बीच इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वे अपनी मनचाही पोस्टिंग के लिए दो करोड़ रुपए का चंदा भी आसानी से देने के लिए तैयार हैं। आईएएस,आईपीएस और आईएफएस जैसे प्रशासनिक संवर्ग की सेवाओं के लिए तो चंदे का आंकड़ा और भी ऊंचा है।

तबादले पोस्टिंग का ये कारोबार कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच फलफूल रहा है। कार्यकर्ताओं की फौज राजनैतिक चाहत से ऊपर उठकर ये काम पूरी जिम्मेदारी से कर रही है। सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं का प्रयास है कि इसमें कार्यकर्ताओं के बीच चंदे का बंटवारा भी व्यापक तरीके से करा दिया जाए। नतीजतन विधायकों के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ आज आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि सरकारी पदों पर कोई योग्य व्यक्ति बैठे या अयोग्य इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश की आय बढ़ाने का फायदा भी तब है जब विकास कार्यों के लिए अत्यधिक कर्ज लेना हो। अभी राज्य की जो आय है उससे तो सरकारी कामकाज के लिए पर्याप्त कर्ज मिलता ही रहेगा।

सरकार ने अफसरों का खजाना बढ़ाने के लिए हर विभाग में इंस्पेक्टर राज बढ़ा दिया है। दूध,मावा, पनीर आदि के सेंपल लिए जा रहे हैं। अभी अभी पौने तीन सौ सेंपल धड़ाधड़ लिए गए। खाद्य विभाग के पास न तो इन सैंपलों को समय सीमा में चैक करने की पर्याप्त सुविधा है और न ही सैंपलों का परीक्षण करने के लिए बुलाई गई मशीन चालू हो पाई है। इसके बावजूद धड़ाधड सेंपल उठाए जा रहे हैं। जनता के बीच सरकार की ये सक्रियता जरूर चर्चा का केन्द्र बन गई है।जनता और दुग्ध कारोबारियों के बीच जो अविश्वास पनपने लगा है उससे सरकार की अन्य गतिविधियों और वादों की ओर से जनता का ध्यान हट गया है। तबादलों की ये बयार जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन से लेकर तमाम विभागों में चल रही है।जो कांग्रेस कभी राजाओं,सामंतों को खलनायक बताकर जन आक्रोश की लहर पर सवार हुआ करती थी वो आज भ्रष्ट अफसरों, व्यापारियों, को निशाने पर ले रही है। कांग्रेस का ये चिरपरिचित फार्मूला जनता के बीच आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है और यही कमलनाथ की सरकार की फिलहाल नजर आ रहीं सफलताओं की कुंजी भी है।

स्वत्वाधिकारी ,मुद्रक,प्रकाशक आलोक सिंघई ने सम्यक प्रिंटर्स से छापा और ऊपरी भूतल-7 अलकनंदा काम्पलेक्स जोन-1,एमपी नगर भोपाल से प्रकाशित किया।
संपादक - आलोकसिंघई फो.2555007,मोबा.-9425376322 न्याय क्षेत्र भोपाल. aloksinghai67@gmail.com सलाहकार संपादक:विपिन शर्मा,स्थानीय संपादक:संजय जैन।